न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 148/2015 **दायर दिनांकः 02.11.2015**

उनवान

1. शिवनारायण सिंह आयु 68 वर्ष पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां हाल शक्ति नगर कोटा राज0

वादी

बनाम

1. शम्भूसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र भँवरसिंह जाति राजपूत
2. रामसिंह आयु 66 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासीगण भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. गजेन्द्रसिंह आयु 62 वर्ष पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत
4. कैलाशबाई आयु 60 वर्ष पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत
5. शुभमसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र रामनाथसिंह जाति राजपूत
6. तरूणाबाई आयु 35 वर्ष पुत्री रामनाथसिंह जाति राजपूत
7. अरूणाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री रामनाथसिंह जाति राजपूत
8. अमृताबाई आयु 55 वर्ष बेवा रामनाथसिंह जाति राजपूत निवासीगण शीतलामाता मंदिर के पास राजगढ़ म0प्र0
9. मोहितसिंह आयु 22 वर्ष पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत
10. उत्कर्ष सिंह आयु 20 वर्ष पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीगण मकान नम्बर ई—427 नगर विकास योजना कन्सुआ कोटा (राज0)
11. भँवरसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत
12. हिम्मतसिंह आयु 38 वर्ष पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत
13. उम्मेदसिंह आयु 34 वर्ष पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासीगण खेड़ली गद्दियान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

14. भूलकंवरबाई आयु 60 वर्ष पुत्री चाँदसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह का मकान प्रेम नगर तृतीय स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास कोटा (राज0)
15. बनकंवरबाई आयु 58 वर्ष पुत्री चाँदसिंह जाति राजपूत पत्नी जसवन्तसिंह बिबनवा वाले इन्द्रा कालोनी स्वामी विवेकानन्द स्कूल की गली बून्दी जिला बून्दी (राज0)
16. विक्रमसिंह आयु 61 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत
17. पदमसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत
18. अवतारसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र बहादूरसिंह जाति राजपूत
19. बनेसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र बहादूरसिंह जाति राजपूत
20. ममताबाई आयु 32 वर्ष पुत्री बहादूरसिंह जाति राजपूत
21. मौसमबाई आयु 29 वर्ष पुत्री बहादूरसिंह जाति राजपूत
22. शीलाबाई आयु 26 वर्ष पुत्री बहादूरसिंह जाति राजपूत
23. उम्मेदकंवरसिंह आयु 52 वर्ष पुत्री छीतरसिंह जाति राजपूत
24. जयकंवरसिंह आयु 90 वर्ष बेवा छीतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
25. रूपसिंह आयु 54 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत
26. दलपतसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत
27. तेजसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत
28. नन्दकंवरबाई आयु 65 वर्ष पुत्री चतरसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत
29. उच्छल कंवरबाई आयु 56 वर्ष पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण श्रीराम कालोनी कवाई तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड़ सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
30. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।

निर्णय दिनांक 20.03.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि जमाबन्दी ग्राम कवाई तहसील अटरू सम्वत् 2024 से 2027 के अनुसार पुराने ख0न0 604 रकबा 15 बिघा 14 बिस्वा, ख0न0 643 रकबा 9 बिघा, ख0न0 644 रकबा 9 बिघा 19 बिस्वा भूमि भँवरसिंह वल्द भैरूलाल के खातेदारी में स्थित थी। काश्तकारों का बँटवारा पूर्व में हो चुका था। उक्त भूमियात भँवरसिंह के हिस्से व खातेदारी में स्थित थी। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के बाद सेटलमेन्ट विभाग ने नये खसरा नम्बर निम्न प्रकार बनाये हैं—

गत खसरा नम्बर	वर्तमान खसरा नम्बर
604 रकबा 15 बिघा 14 बिस्वा	326 रकबा 0.84 है0
	325 रकबा 1.46 है0
643 रकबा 9 बिघा	564 रकबा 1.23 है0
644 रकबा 9 बिघा 19 बिस्वा	566 रकबा 0.08 है0
	567 रकबा 0.73 है0 बनाये हैं।

वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार ख0न0 326 रकबा 0.84 है0, ख0न0 564 रकबा 1.23 है0, ख0न0 566 रकबा 0.08 है0, ख0न0 567 रकबा 0.73 है0 भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हैं कुछ खातेदारान फोत हो गए हैं जिनके वारिसान प्रतिवादीगण बनाए गए हैं। वाद पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि को खातेदार भँवरसिंह वल्द भैरूलाल ने उसके जीवन काल में ही वादी शिवनारायण सिंह को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था जिसको लगभग 45—50 वर्षो से भी अधिक समय हो चुका हैं तब से आज दिन तक उक्त भूमि को वादी शान्तिपूर्वक बेरोक—टोक खुले तौर पर 45—50 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा हैं जिस पर वर्तमान खातेदारान द्वारा वादी को कभी भी कब्जे काश्त बाबत् कोई चुनौती नहीं दी हैं तथा उक्त भूमि का लगान भी वादी अदा करता चला आ रहा हैं। वादी का उक्त भूमियात पर लगातार शान्तिपूर्वक, बेरोक—टोक खुले तौर पर 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आने से कब्जा मुखालफाना होने की वजह से बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। प्रतिवादीगण के पिता भँवरसिंह का सजरा निम्न प्रकार से हैं:—

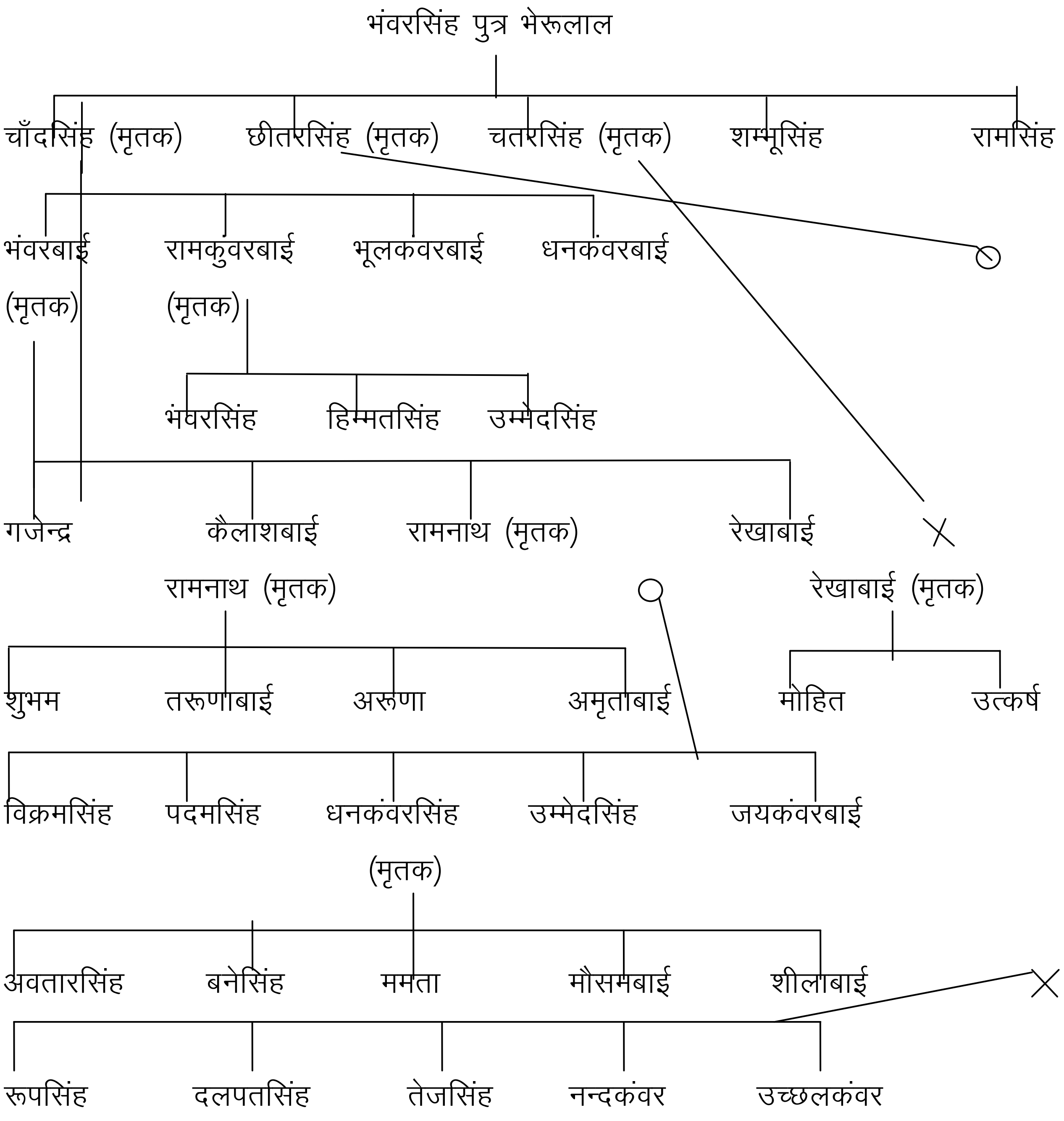

भँवरसिंह के वारिसान में चाँदसिंह, छीतरसिंह व चतरसिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके वारिसान मुताबिक सजरा प्रतिवादीगण बनाए गए हैं। जिनका उक्त भूमियात पर एक क्षण के लिए कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं। खातेदार भँवरसिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त आराजी पर वादी का प्रतिकुल कब्जा होने के आधार पर उसके वारिसान ने पुनः उक्त भूमियात के वर्ष 1974 में रूपये ओर ले लिए। उक्त भूमियात को वादी उन्नत उपजाऊ बनाना चाहते हैं तथा

सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। उक्त भूमियात में होकर वर्तमान में एन0एच– 90 सड़क का निर्माण होना हैं इस बाबत् सड़क में भी भूमियात आने की सम्भावना हैं। प्रतिवादीगण के मन से बदनियती आ रही हैं तथा वह वादी को परेशान कर रहे हैं। उनके खातेदारी में भूमियात होने से वह उक्त भूमियात को अपनी बता रहे हैं तथा प्रतिवादीगण दादागिरी के बल पर वादी के स्वामित्व एवं कब्जे–काष्त की भूमियात पर अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते हैं और आराजी पर कब्जा कर खुर्द–बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जबकि उक्त भूमियात पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं ओर ना ही कब्जा–काश्त हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 ता 29 को उनके द्वारा किए जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य को रोका जाना सम्भव नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को उक्त भूमियात पर चले आ रहे अधिकारों, हक, हेकूको से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा अस्तु वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 29 निम्न आशय की डिक्री पारित करवाने का अधिकारी हैं कि वाद पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमियात वाके माल ग्राम कवाई तहसील अटरू जिला बारां की ख0न0 326 रकबा 0.84 है0, ख0न0 564 रकबा 1.23 है0, ख0न0 566 रकबा 0.08 है0, ख0न0 567 रकबा 0.73 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 29 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादी के कब्जे–काश्त में चली आ रही उक्त भूमियात को खूर्द–बुर्द रहन बेचान वसीयत व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे इसमें किसी प्रकार की दखल–अन्दाजी न करें उक्त समस्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वंय करें ना ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करावें। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण 1 ता 29 उक्त भूमियात पर जबरन कब्जा करले तो उन्हें बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावें। उक्त भूमियात के लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब होने से उन्हें इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 30 बनाया गया हैं जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जा चुका हैं किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी0पी0सी0 के तहत यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10.09.2015 को

प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त भूमियात पर कब्जा करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 7–10–2015 को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त भूमियात वाके ग्राम व माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावें कि–

(अ) वाद पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमियात वाके माल ग्राम कवाई तहसील अटरू जिला बारां की ख0न0 326 रकबा 0.84 है0, ख0न0 564 रकबा 1.23 है0, ख0न0 566 रकबा 0.08 है0, ख0न0 567 रकबा 0.73 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 30 को रेवन्यु रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज करने हेतु आदेश करने की कृपा करें।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 29 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वाद पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमियात वाके माल ग्राम कवाई तहसील अटरू जिला बारां की ख0न0 326 रकबा 0.84 है0, ख0न0 564 रकबा 1.23 है0, ख0न0 566 रकबा 0.08 है0, ख0न0 567 रकबा 0.73 है0 पर वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दें इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें और ना ही कब्जा करके खुर्द–बुर्द रहन बेचान वसीयत व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें। उक्त समस्त कृत्य ना तो स्वंय करें ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करायें।

(स) यह कि दौराने बाद यदि प्रतिवादीगण कब्जा करले व बेचान व किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण कर दे तो ऐसे कब्जे से बेदखल कर व ऐसे बेचान को शून्य घोषित कर निरस्त किया जावें।

(द) यह कि अन्य कोई न्यायाचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

(य) दादरसी

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की की गई, प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4, 11 ल 29 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी क्रम 3 ता 10 की ओर से जवाब दावा पेश कर किया जिसमें कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। तथा कथन है कि उक्त आराजीयात का पंजीयन वादी शिवनारायण सिंह को भंवरसिंह पुत्र भैरूलाल से उसके जीवनकाल में करवाना चाहिए था। उक्त वाद को माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है। बल्कि विशिष्ट अनुपालना का वाद सिविल न्यायालय में करना चाहिए था। वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है तथा कथन है कि वर्तमान कानून के मुताबिक कब्जा भूमि पर खातेदार का ही माना जाता है। वादी कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद पत्र की मद नं0 6 में पारिवारिक सजरा स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 में भंवरसिंह के वारिसान में चांदसिह, छीतर सिंह, चतर सिंह की मृत्यु होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है। तथा कथन है कि प्रतिवादीगण खातेदार है। जिनके विरूद्ध यह वाद चलने योग्य नही है। तथा वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद पत्र की मद नं0 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 12 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 13 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 14 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 15 अस्वीकार है। तथा कथन है कि वाद अवधि मध्य पेश नही होने से खारिज फरमाया जावें। उक्त वाद को सुनने व फैसल करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त नही है। अनुतोष वादी अस्वीकार है।

—::विशेष आपत्तियां::—

उक्त आराजीयात का पंजीयन वादी शिवनारायण सिंह को भंवरसिंह पुत्र भैरूलाल से उसके जीवनकाल में करवाना चाहिए था। उक्त वाद को माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है। बल्कि विशिष्ट अनुपालना का वाद सिविल न्यायालय में करना चाहिए

था वर्तमान कानून के मुताबिक कब्जा भूमि पर खातेदार का ही माना जाता है। वादी कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद अवधि मध्य पेश नही होने से खारिज फरमाया जावें। उक्त वाद को सुनने व फैसल करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त नही है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 3 ता 10 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न लिखित तनकीयात कायम की गईः–

तनकी सं0 – 01. आया ग्राम कवाई तहसील अटरू में पुराने ख0नं0 604 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा ख0नं0 643 रकबा 9 बीघा ख0नं0 644 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि भंवरसिंह वल्द भैरूलाल के खाते दर्ज थी। जिसके वाद सेटलमेन्ट विभाग ने नये ख0नं0 326 रकबा 0.84 है0 ख0नं0 325 रकबा 1.46 है0 में ख0नं0 564 रकबा 1.23 है0 ख0नं0 516 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 567 रकबा 0.73 है0 बनाकर दर्ज किए है।

(भा.सं0 वादी)

तनकी सं0 – 02. आया वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित भूमि को खातेदार भंवरसिंह वल्द भैरूलाल ने उसके जीवनकाल में ही वादी शिवनारायण सिंह की बैचान कर काब्जा सम्भला दिया था जिसकी लगभग 45–50 वर्षो से भी अधिक समय हो चुका है।

(भा.सं0 वादी)

तनकी सं0 – 03 आया वादी वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित मुतियात पर लगातार शान्तिपूर्वक बेरोक टोक खुले तीर पर 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आने से कब्जा मुखलफाना होने की वजह से बाई आफरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

(भा.सं0 वादी)

तनकी सं0 – 04 आया वाद की सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। सिविल न्यायालय की है।

(भा.सं0 प्रतिवादी 3 ता 10)

तनकी सं0–05 दादरसी।   तनकी कायम की।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_3 के शपथ पेश किये तथा रिकार्ड प्रदर्श करवाया गया। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 3 ल 10 उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा बहस सुनी गई।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया और निवेदन किया गया कि जमाबन्दी ग्राम कवाई की पुराने ख0नं0 604 रकबा 15 बीधा 14 बिस्वा ख0नं0 643 रकबा 9 बीघा ख0नं0 644 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि भंवर सिंह बल्द भैरूलाल ने जीवनकाल में ही वादी शिवनारायण सिंह को बैचान कर कब्जा सम्भला दिया था जिसको लगभग 45–50 वर्ष बीत चुके है। तभी से वादी उक्त भूमि पर बिना रोकटोक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। तथा भंवरसिंह की मृत्यु उपरान्त भंवरसिंह के वारिससान द्वारा वर्ष 1974 में रूपये ले लिये थे। इसलिये कब्जे के आधार पर उक्त भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः–

तनकी सं0 – 01. आया ग्राम कवाई तहसील अटरू में पुराने ख0नं0 604 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा ख0नं0 643 रकबा 9 बीघा ख0नं0 644 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि भंवरसिंह वल्द भैरूलाल के खाते दर्ज थी। जिसके वाद सेटलमेन्ट विभाग ने नये ख0नं0 326 रकबा 0.84 है0 ख0नं0 325 रकबा 1.46 है0 में ख0नं0 564 रकबा 1.23 है0 ख0नं0 516 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 567 रकबा 0.73 है0 बनाकर दर्ज किए है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, वादी द्वारा इस सम्बन्ध में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 खाता संख्या 419 प्रदर्श 1 व नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 प्रदर्श 2 व मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 पेश किये है। जिससे स्पष्ट है। कि पुराने ख0नं0 के नये नम्बर बने है। अतः तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 02. आया वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित भूमि को खातेदार भंवरसिंह वल्द भैरूलाल ने उसके जीवनकाल में ही वादी शिवनारायण सिंह की बैचान कर काब्जा सम्भला दिया था जिसकी लगभग 45–50 वर्षो से भी अधिक समय हो चुका है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगएण की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नही की गई, ओर नही किसी प्रकार का कोई खण्डन किया गया वादी का विवादित भूमि पर कब्जा होने के सम्बन्ध मे गवाह PW_1 से PW_3 पेश किये गये है, जिनके बयानों को भली भांति यह साबित होता है। कि उक्त आराजी पर वादी का बैरोक टोक, बिना किसी बाधा के निरन्तर 45–50 वर्षो से कब्जा काश्त है। अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 03 आया वादी वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित मुतियात पर लगातार शान्तिपूर्वक बेरोक टोक खुले तीर पर 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आने से कब्जा मुखलफाना होने की वजह से बाई आफरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के अनुसार वादी का 45–50 वर्षो से बैरोक टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसका खण्डन प्रतिवादीगणों द्वारा नही किया गया इससे यह साबित होता है कि वादी का 12 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। इसलिये वादी को बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः तनकी नं0 3 वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 04 आया वाद की सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। सिविल न्यायालय की है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 3 ता 10 पर था इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये इससे यह प्रमाणित है कि इस न्यायालय को उक्त वाद का सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः तनकी नं0 4 विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 3 ता 10 निर्णित की जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई के ख0नं. 326 रकबा 0.84 है0 ख0नं0 564 रकबा 1.23 है0 व ख0नं0 566 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 567 रकबा 0.73 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है, कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 148/2015

उनवान

1. शिवनारायण सिंह आयु 68 वर्ष पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां हाल शक्ति नगर कोटा राज0

वादी

बनाम

1. शम्भूसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र भँवरसिंह जाति राजपूत
2. रामसिंह आयु 66 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासीगण भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. गजेन्द्रसिंह आयु 62 वर्ष पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत
4. कैलाशबाई आयु 60 वर्ष पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत
5. शुभमसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र रामनाथसिंह जाति राजपूत
6. तरूणाबाई आयु 35 वर्ष पुत्री रामनाथसिंह जाति राजपूत
7. अरूणाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री रामनाथसिंह जाति राजपूत
8. अमृताबाई आयु 55 वर्ष बेवा रामनाथसिंह जाति राजपूत निवासीगण शीतलामाता मंदिर के पास राजगढ़ म0प्र0
9. मोहितसिंह आयु 22 वर्ष पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत
10. उत्कर्ष सिंह आयु 20 वर्ष पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीगण मकान नम्बर ई–427 नगर विकास योजना कन्सुआ कोटा (राज0)
11. भँवरसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत
12. हिम्मतसिंह आयु 38 वर्ष पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत
13. उम्मेदसिंह आयु 34 वर्ष पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासीगण खेड़ली गद्दियान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
14. भूलकंवरबाई आयु 60 वर्ष पुत्री चाँदसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह का मकान प्रेम नगर तृतीय स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास कोटा (राज0)
15. बनकंवरबाई आयु 58 वर्ष पुत्री चाँदसिंह जाति राजपूत पत्नी जसवन्तसिंह बिबनवा वाले इन्द्रा कालोनी स्वामी विवेकानन्द स्कूल की गली बून्दी जिला बून्दी (राज0)
16. विक्रमसिंह आयु 61 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत
17. पदमसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत
18. अवतारसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र बहादूरसिंह जाति राजपूत
19. बनेसिंह आयु 35 वर्ष पुत्र बहादूरसिंह जाति राजपूत
20. ममताबाई आयु 32 वर्ष पुत्री बहादूरसिंह जाति राजपूत
21. मौसमबाई आयु 29 वर्ष पुत्री बहादूरसिंह जाति राजपूत
22. शीलाबाई आयु 26 वर्ष पुत्री बहादूरसिंह जाति राजपूत
23. उम्मेदकंवरसिंह आयु 52 वर्ष पुत्री छीतरसिंह जाति राजपूत
24. जयकंवरसिंह आयु 90 वर्ष बेवा छीतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

25. रूपसिंह आयु 54 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत

26. दलपतसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत

27. तेजसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत

28. नन्दकंवरबाई आयु 65 वर्ष पुत्री चतरसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत

29. उच्छल कंवरबाई आयु 56 वर्ष पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण श्रीराम कालोनी कवाई तेजसिंह का मकान स्टेशन रोड़ सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

30. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कवाई के ख0नं. 326 रकबा 0.84 है0 ख0नं0 564 रकबा 1.23 है0 व ख0नं0 566 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 567 रकबा 0.73 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है, कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...

.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 11:12:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: